

राजस्थान-सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0जयपुर

क्रमांक:- ई-18/एम/से.नि./ (जोन-कोटा)/से0नि0/2024/91

दिनांक :- 29/04/2024

आदेश

श्री दुष्यंत सिंह चन्द्रावत, कनिष्ठ सहायक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सारोमाकलां, झालावाड़ जिनकी जन्मतिथि 28.12.1979 हैं, को राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 50 (1) के अनुसरण में दिनांक 12.06.2024 से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती हैं। दिनांक 12.06.2024 को इनका अकार्य दिवस होगा।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री दुष्यंत सिंह चन्द्रावत, कनिष्ठ सहायक के विरुद्ध:-

- 1- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3- कोई न्यायिक कार्यवाहीया विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज0जयपुर।

क्रमांक:- ई-18/एम/से.नि./ (जोन-कोटा)/से0नि0/2024/91

दिनांक 29/04/2024

:-प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राज0 जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सारोमाकलां, जिला झालावाड़।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. श्री दुष्यंत सिंह चन्द्रावत कनिष्ठ सहायक को उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारी के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज0जयपुर।

Signature valid

RajKaj Ref
6787577



Digitally signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation : Director
Date: 2024.04.27 18:02:10 IST
Reason: Approved